International Journal of Information Movement Vol.I Issue II (June 2016)
Website: ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 60-65

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की समस्याएँ

श्वेता सिंह
शोधार्थी, पीएच.डी. (एजूकेशन),
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

1.0 प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की समस्याएँ :

स्वतन्त्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है फिर भी अनेक समस्याएं आज भी बरकरार हैं। महिलाओं की स्थिति में इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के बावजूद अत्याचारी एवं अप्रगतिशील विचारों वाला पुरुष वर्ग नारी महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। भविष्य में होने वाली सन्तान भले ही निरक्षर रह जाये लेकिन पुरुष नारी शिक्षा का विरोध करके अट्टहास करता है। वह अपनी रूढ़िवादी धार्मिक संकीर्णता एवं नारी जाति पर शासन करने की चिरकाल से विरासत में मिलने वाली धारणा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं है जबकि वर्तमान में आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक रूढ़िवादी विचारों, धार्मिक अन्धविश्वासों एवं प्राचीन परम्पराओं को खण्ड–खण्ड करके सारहीन सिद्ध कर दिया है। किन्तु अज्ञानता के कूप में पड़े हुए करोड़ों भारतीय अब भी उनसे चिपटे हुए है। वे अब भी प्राचीन विचरों एवं पोषण एवं समर्थन करते हैं फलस्वरूप स्त्री शिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है इसके निम्न कारण हैं। अन्य विश्वासों के शिकन्जे में जकड़े हुए अनेक हिन्दू बालिकाओं का अल्पायु में विवाह करना अपना परम पुनीत कर्त्तव्य समझते हैं। अतः वे भरतीय व्यस्कता अधिनियम का एवं बाल विवाह निषेधक अधिनियम का उल्लंघन करके भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने में संकोच नहीं करते हैं। परिणामतः बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना स्वाभाविक है।

रूढ़िवादी विचारों के सीमित दायरे में निवास करने वाले अनेक हिन्दू स्त्री का उचित स्थान घर के अन्दर मानते हैं अतः उनके मतानुसार बालिकाओं को घरेलू हिसाब किताब के लिए थोड़ा या अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त है इसके अतिरिक्त उनकी धारणाएँ हैं कि बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् समानता एवं स्वतंत्रता का दावा करने लगती है अतः वे बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी हैं।

"प्राप्तेतु दशमे वर्षे यस्तु कन्या न यक्षति।
मासि–मासि रजस्यतस्यः पिता पिवति शेणितम्।"

बालिका शिक्षा की एक अत्यन्त गंभीर समस्या अपव्यय एवं अवरोधन भी है, बालिकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय, अवरोधन अधिक है पर्दा एवं बाल विवाह का प्रचलन, अन्धविश्वासों में आस्था और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण के फलस्वरूप बालिकाएँ अपने को विवशता से इतना उलझा हुआ पाती है कि वह बालकों के समान ज्ञान अर्जन नहीं कर पाती है।

बालिका शिक्षा की एक समस्या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की है क्योंकि अधिकांशतः बालकों एवं बालिकाओं के समान पाठ्य विषय हैं। हाँ इतना अवश्य है कि बालिकाओं को संगीत चित्रकला एवं

गृहविज्ञान जैसे जैसे कुछ वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है किन्तु इससे न तो उनका कोई तात्कालिक हित होता है और न दूर कालिक। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के अनेक कारण है।

क. यह शिक्षा ज्ञान प्रधान, पुस्तक प्रधान एवं अव्यवहारिक होने के कारण बालिकाओं में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूल न करने की सामर्थ का विकास नहीं करती है।

ख. यह शिक्षा बालिकाओं को सब प्रकार के प्राकृतिक साधनों, रंगबिरंगे वस्त्रों एवं आभूषणों से सज संवर कर कामिनी या मोहनी बनने में और पुरुषों को रिझाने में दक्ष बना दती है, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है।

ग. इस प्रकार की शिक्षा मलिाओं में बेरोजगारी की समस्या को उतना ही विकराल रूप प्रदान करती जा रही है जितना कि वह पुरुषों को बेरोजगारी की समस्या की समस्या प्रदान कर चुकी है। मनुष्य के लिए बेरोजगारी हानिकारक हैं पर स्त्रियों के लिए भयंकर है।

1.1 राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार–महिला शिक्षा की वर्तमान पुरुषों की आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण उनको दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नहीं करती है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, ''स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन के लिए पूर्णतया निरर्थक है। जो उनको व्यतीत करना है। यह शिक्षा न केवल अपव्यय है। वरन् बहुधा उनकी निश्चित असमर्थता का कारण है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा की उपेक्षा उसके लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है, क्योंकि सरकार की जितनी रूचि बालकों की शिक्षा में उसकी कई गुणा कम बालिकाओं की शिक्षा में है अतः सरकार बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहित और बालिकाओं की शिक्षा को निरुत्साहित करती है। क्योंकि यदि सरकार को कभी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह इस कमी की पूर्ति हेतु बालकों की शिक्षा के बजाय बालिकाओं की शिक्षा से करती है। उदाहरणार्थ–भारत –चीन के युद्ध के समय जब देश में आर्थिक संकट की घोषणा की गयी तब सब राज्यों ने इस संकट का सामना करने के लिए बालिका शिक्षा के व्यय में कटौती की और यह कटौती 15 लाख रुपए की थी।[1]

अध्यापिकाओं के अभाव के कारण ही बालिकाओं में शिक्षा का कम प्रसार होने के कारण शिक्षित स्त्रियों का अभाव है, जो शिक्षित भी है। उनमें से अनेक की इच्छा होते हुए भी नौकरी नहीं कर पाती है इससे कारण उनके माता–पिता, पति, सास–ससुर है, जोकि नौकरी करवाना अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं।

अध्यापिकाओं के रूप में कार्य करने वाली कुछ स्त्रियाँ विवाह के उपरांत पारिवारिक झंझटों में उलझ जाने के कारण नौकरी छोड़ देती है। कुछ उत्तम आर्थिक स्थिति का वर प्राप्त हो जाने पर अल्प वेतन वाले अध्यापिका के पद पर कार्य करना अपना अपमान समझती है।

नगरों की अपेक्षा गाँवों में अध्यापिकाओं का विशेष रूप से अभाव है। क्योंकि ग्रामों में जीवन मापन की सामान्य वस्तुओं की पूर्ति में अत्याधिक कठिनाई होती है। इसलिए ग्रामों की शिक्षित महिलाएँ इतनी योग्य नहीं होती है कि वे अध्यापिकाओं का कार्य कर सके।

. भारतीय समाज शिक्षा के सांस्कृतिक व सामाजिक महत्त्व को नहीं समझती है। अतः अधिकांश लोग बलिकाओं की शिक्षा निरर्थक व समय का अपव्यय समझते हैं। वह सोचते हैं कि बालिकाओं को विवाहोपरान्त घर गृहस्थी के काम में फंस जाना पड़ेगा। अतः उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई लाभ नहीं है।

शिक्षा का अभाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीबों के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देती है। राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद के संयुक्त निदेशक अबू सोलह सरीफ के अनुसार, ''वास्तव में प्रभावशाली वर्ग को शिक्षित बनाने में कोई रुचि नहीं लेता। गुजरात में पटेलों की अधिकार सम्पन्न जाति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति न देना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

. शिक्षकों व कक्षाओं का अत्यन्त अभाव है उड़ीसा में यदि सभी नामांकित बच्चे उपस्थिति होने लगे तो प्रत्येक के लिए सिर्फ 18 वर्ग इंच स्थान ही उपलब्ध हो सकेगा और प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में देश में व्याप्त गरीबी और उसके पैरासाईट के रूप में बाल मजदूरी प्रथा भी बाधक रही है।

वर्तमान समस्या वृद्धि दर को आधार बनाते हुए सन् 2007 तक अथवा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 से 11 वर्ष आयु के सभी बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए 13 लाख स्कूली कक्षाओं और 7 लाख 40 हजार नए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगा जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप अभी कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है और जहाँ उपलब्ध भी है उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो निर्धारित मानकों के अनुरूप भी नहीं हैं और ऐसी जीर्ण–शीर्ष अवस्था में है जो न तो वर्षा के दिनों में बच्चों को पानी से बचा सकते हैं और न भयंकर शीत और ग्रीष्म में सर्द और गर्म हवाओं से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की बेहद कमी है। दूर–दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पहले तो प्राथमिक विद्यालय बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध है और यदि विद्यालय हैं भी तो उनमें या तो शिक्षक नियुक्त ही नहीं है या फिर वे यदा–कदा ही विद्यालय में पढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हैं।

प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में देश में व्याप्त गरीबी और उसके पैरासाइट के रूप में बाल मजदूरी प्रथा भी बाधक रही है यद्यपि सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हैं लेकिन फिर भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनांमिक्स द्वारा किए गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के आधार एक –एक बच्चे को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावक को प्रतिवर्ष 366/–रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन लाखों परिवारों के लिए जिनमें स्कूल जाने वाले कई बच्चे हो उन पर यह एक आर्थिक बोझ भी है जिसे वे सामान्य परिस्थितियों में उठा ही नहीं सकते। विशेष रूप से यह आर्थिक बोझ लड़कियों की पढ़ाई को और भी अधिक प्रभावित करती है। जहाँ माता–पिता यह मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा का लाभ लड़की की ससुराल वाले उठाएंगे तो फिर अनावश्यक खर्चा हम क्यों करें। इसके अतिरिक्त देश में बहुत सारे गाँव और बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय की आसपास सुलभता भी नहीं है। यद्यपि देश में कक्ष एक से 5 तक के विद्यालय के लिए एक किमी. तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के लिए किमी. तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के लिए तीन किमी. के अन्दर विद्यालय उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मानक निर्धारित हैं। लेकिन अभी भी सरकारी आँकड़ों के अनुसार भी देश की ग्रामीण जनसंख्या के 94 प्रतिशत भाग को ही एक किमी. में प्राथमिक विद्यालय तथा 84 प्रतिशत जनसंख्या को तीन किमी. के भीतर मिडिल स्तर के विद्यालय तथा 84 प्रतिशत जनसंख्या को तीन किमी. के भीतर मिडिल स्तर के विद्यालय उपलब्ध कराया जाना सम्भव

हो सका है। इससे स्पष्ट है कि अनेक गाँव और बस्तियाँ अवशेष हैं जहाँ कई–कई किमी. तक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में चाहते हुए भी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ रहते हैं और उसका परिणाम होता है कि देश में निरक्षरों की संख्या में वृद्धि। शायद इसीलिए भी सरकार संविधान की धारा 45 की भावनाओं के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण देश में घोषणा नहीं कर सकी है।

2.0 बालिका शिक्षा तथा संवैधानिक स्थिति :

भारत का संविधान केवल वैधानिक उपबन्धों का संकलन मात्र नहीं है अपितु इसमें राष्ट्र की आत्मा के भी दर्शन होते हैं। इसमें देश की जनता की आशायें, आकाँक्षाएँ और जीवन लक्ष्यों की झाँकी परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान में अतीत की महत्ता वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की उज्जवलता का संकेत प्राप्त होता है।

संविधान तो एक प्रकार का साधन है साध्य तो देश की स्वतंत्रता समानता और सुरक्षा को अक्षुण्य रखते हुए प्रत्येक देशवासी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। जिसे देश वासियों का जीवन सुखी और समृद्धिशाली बन सके। भारत के गणराज्य का आदर्श और उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है।

''हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण सम्पन्न, लोक तन्त्रन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति श्री गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माधित करते हैं।''

इस सम्बन्ध में राजशास्त्र की इस उक्ति को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक देश की जनता को उसी प्रकार का संविधान स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिसके वह योग्य होती है। संविधान के तन्त्र को चलाने वाले तो देशवासी ही है, यदि यहाँ के निवासियों में अज्ञानता और अशिक्षा व्याप्त रही तो कथाकथित सर्वश्रेष्ठ संविधान अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा खो सकता है, केवल लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने से ही पूर्ण लोकतंत्र की आशा करना आकाश कुसुम होगा, जब तक की देशवासियों को उसके लिये शिक्षित करके योग्य ना बनाया जायेगा।

भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निशुल्क शिक्षा को सरकार का उत्तरदायित्व घोषित किया गया है। हमारे देश के संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने में सभी वर्गों ने अपना योगदान प्रदान किया है। सभी वर्गों के हितों से सम्बन्धित प्राविधान मौलिक अधिकारों में सन्निहित कर दिये गये है। फिर भी अपेक्षित लाभ जनता को न मिल सके और प्राथमिक शिक्षा का समुचित विकास न हो सका।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि लोकतन्त्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा एवं अतिजीवितता के लिए सभी नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक है।[2]

लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है अब लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक मताधिकार होना आवश्यक समझा जाता है और मताधिकार का समुचित

प्रयोग करने के लिए मतदाता को कुछ सामान्य शिक्षा देना परमावश्यक है। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 50 वर्षों के उपरान्त भी प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

किसी देश में लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना पहली अनिवार्य आवश्यकता है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन तन्त्र तभी सुचारू रूप से तन्त्र से चल सकता है जबकि देश में आम लोगों को कम से कम इतनी शिक्षा प्राप्त हो सके, कि वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हो, संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार का उचित प्रयोग कर सके और विधानमण्डल एवं संसद के लिए योग्य कर्मठ तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन सके। लोकतंत्र जोर जबरदस्ती पर नहीं चलता और सभी कार्य जनमत के आधार पर ही करने पड़ते हैं। अतः पूरे जनवर्ग का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है।

विदेशी शासन काल में जोर जबरदस्ती का बोलबाला था शासन पाशुविक शक्ति पर आधारित था अतः अंग्रेजों को शिक्षा सुधार और प्रसार की ओर अध्ययन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए शिक्षा का जो प्रबन्ध किया गया वह प्रदेश की विशाल जनसंख्या की शिक्षा के बिल्कुल अपर्याप्त था।

प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या इतनी कम थी कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए भी दूर जाना पड़ता था।[3] जागरूकता न होने से सामान्य जनता को कोई विशेष रुचि शिक्षा के प्रति न थी। कारण स्पष्ट है कि विदेशी सरकार तो यह चाहती ही नहीं थी कि भारतीय जनता शिक्षित होकर उसके अन्यायों और अत्याचारों की ओर उंगली उठाने के काबिल बन सके।

शिक्षा की ऐसी दयनीय स्थिति में राष्ट्र की स्वतन्त्रता का उदय हुआ और लोकतंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में देश के कर्णधारों का ध्यान सर्व प्रथम शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की ओर गया क्योंकि स्वस्थ प्राथमिक शिक्षा के बिना आगे की शिक्षा में सुधार हो ही नहीं सकता था।

सन् 1947 में स्वतन्त्रता के साथ भारत को विरासत में मिलने वाली शिक्षा व्यवस्था न केवल मात्रात्मक रूप से सीमित थी अपितु उसमें क्षेत्रीय एवं ढांचागत असन्तुलन भी विद्यमान थे। केवल 14 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी और प्रत्येक तीन में से एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था शिक्षा को विकास की प्रक्रिया की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी मानकर, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार तथा पुनरसंचरना की आवश्यकता अनुभव की, इसलिए भारत के नये संविधान में जो डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जैसे महानविधि शास्त्री व राजनीति शास्त्रियों द्वारा बनाया गया था हरिजनों व अन्य दलित जातियों व समूहों द्वारा बनाया गया था। हरिजनों व अन्य दलित जातियों व समूहों के कल्याण के लिये कई महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी।

3.0 संविधान के अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी हैं।

अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जायेगा।

अनुच्छेद–16 सरकारी नौकरियों सभी के लिए खुली होंग तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी।

अनुच्छेद–19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यवसाय या धन्धा करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद–28 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जायेगा।

अनुच्छेद–149 केन्द्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया है।

अनुच्छेद–244 अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद–330 संसद और विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा।

अनुच्छेद–335 संसद और विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए विशेष कमिश्नर की नियुक्त की जाय, जो प्रतिशत राष्ट्रपति को उनकी दशा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इस महत्त्वपूर्ण पद पर एम.ए. श्रीकान्त व सुप्रसिद्ध प्रस्तुत की जाने वाली कमिशनर की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जीवन में द्रुतगति से प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये जाते रहे हैं। इन जातियों में परिवर्तन लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये जाते रहे हैं। इन जातियों में परिवर्तन लाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान करना हमारा पहला कर्त्तव्य है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया कि बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।

4.0 सन्दर्भ सूची:

1. कान्सटीट्यूशनल एसेम्बली डिवेट्स खण्ड–7ए 19 नवम्बर 1948, नईदिल्ली, भारत सरकार, पृ. 481
2. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, प्रोग्रेस रिपोर्ट (1954–55), नई दिल्ली, योजना अयोग, पृ. 182
3. Rahmani, Savihaa. "Balika siksha evam vikas ki yojanao ke prati dalit mahilaon ki sanchetana ka samajshastriya adhyayan (बालिका शिक्षा एवं विकास की योजनाओं के प्रति दलित महिलाओं की संचेतना का समाज शास्त्रीय अध्ययन) ".(2014).
4. Srivastava, Nimisha. "Prarambhik istar par rashtriya balika shiksha karyakram ka ek vishlesshnatameka adhyayen." (2016).
5. Times of India, February, 2014
6. Yadav, Narendra Kumar Singh. "Anusuchit jati ke sandarbh mein prathamik star par balika shiksha ki sthiti: ek adhyayan (अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति) ".(एक अधययन :2013).
7. आसू दूबेबालिकाओं की प्राथमिक शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में" ., एक अध्ययन". *Global Journal of Multidisciplinary Studies* 3.7 (2014).